संचालनाय स्वास्थ्य सेवायें
मध्य प्रदेश

कमांक 2 / अवि. / सेल–डी.पी.सी. / 2014 / भोपाल, दिनांक

:: आदेश ::

संचालनालय स्तर पर दिनांक 24.07.2013 को विभागीय पदोन्नति समिति की अनुसंशा पर परिभ्रमण में शामिल निम्नलिखित नॉन मेडिकल असिस्टेंट को नॉन मेडिकल सुपरवाईजर (कुष्ट) के पद पर वेतनमान रूपये 5200-20200 +ग्रेड पे 2800 में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदोन्नत करते हुये उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन रिक्त पद पर अस्थाई तौर से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता हैं ।

| क. | कर्मचारी का नाम | वर्तमान पदस्थापना | नवीन पदस्थापना स्थान |
|---|---|---|---|
| 1 | श्री डी.पी.तिवारी (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल |
| 2 | श्री व्ही.एस.चौहान (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली |
| 3 | श्री आर.के.मिश्रा (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल |
| 4 | श्री रज्जाबअली (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पन्ना |
| 5 | श्री जे.आर.अहिरवार (अनुसूचित जाति) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी |
| 6 | श्री ओ.पी. वर्मा (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खरगोन |
| 7 | श्री आर.एन. मोरे (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी विदिशा |
| 8 | श्री आर.व्ही.एस.तोमर (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया |
| 9 | श्री जी.एस.यादव (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा |
| 10 | श्री आर.एस.कुरेसी (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दमोह |
| 11 | श्री दीपक चौधरी (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ग्वालियर |
| 12 | श्री व्ही.के.शुक्ला (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल |
| 13 | श्री एन.के.जड़िया (अनारक्षित) | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छतरपुर |

नोट –

1. पदोन्नत कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी के विरूद्ध विभागीय जांच / अपराधिक प्रकरण लंबित हैं या निलंबित हैं तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को भेजे।

2. पदोन्नति पद एवं स्थान पर आदेश प्राप्ति के उपरांत 07 दिवस की अवधि में पदोन्नत कर्मचारी को अपना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य हैं। अन्यथा यह आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

3. संबंधित कर्मचारी के कार्यमुक्त होने/कर्तव्य पर उपस्थित होने की सूचना संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालनालय को 07 दिवस में आवश्यक रूप से भेजना होगा ।

4. पदोन्नत कर्मचारियों के समस्त मूल अभिलेखों, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन कराई जाने की पूर्णरूपेण जिम्मेदारी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी की होगी । सभी प्रमाण पत्रों के परीक्षण उपरांत ही कार्यमुक्त किया जाना आवश्यक होगा । यदि कर्मचारी संबंधित संवर्ग के अधीन न आता हो अथवा प्रमाण–पत्र संदिग्ध लगता है तो उन्हें कार्यमुक्त न करते हुये उसकी सूचना तत्काल संचालनालय को विशेष डाक द्वारा भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

5. मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 के तहत् निर्धारित अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षण संबंधि निर्देशों का पालन किया गया हैं।

"स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमादित"

हस्ता/-
(शैलबाला मार्टिन)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश

पृ. कमांक 2/अति./सेल–डी.पी.सी./2014/445-R भोपाल, दिनांक 18.06.2014

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल मध्यप्रदेश।
2. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
3. अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति, स्थानीय कार्यालय।
4. संयुक्त संचालक (कुष्ठ) स्थानीय कार्यालय।
5. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
6. समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
7. उप संचालक, (कार्यालय स्थापना) संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें मध्यप्रदेश।
8. समस्त, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मध्यप्रदेश।
9. समस्त, जिला कुष्ठ अधिकारी मध्यप्रदेश।
10. संबंधित कर्मचारी, उपरोक्तानुसार पालनार्थ।

18/6/14
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवाऐं,
मध्यप्रदेश